न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 01/2008 धारा 14(4) आवंटन नियम 1970

1 बद्री पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी गुगोलाव तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील लवाण – (फौत)

1/1 श्रीमति ग्यारसी बेवा बद्री
1/2 रामलाल पुत्र बद्री
1/3 विनोद पुत्र बद्री
1/4 रमेश पुत्र बद्री
1/5 चिरंजीलाल पुत्र बद्री
1/6 मूलचन्द पुत्र बद्री
समस्त जाति बैरवा निवासी गुगोलाव तहसील व जिलादौसा वर्तमान तहसील लवाण जिला दौसा
1/7 श्रीमति निर्मला पुत्री बद्री पत्नि मोहनलाल जाति बैरवानिवासी भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील भाण्डारेज
1/8 श्रीमति रामश्री पुत्री बद्री पत्नि चिरंजीलाल जाति बैरवा निवासी गुर्जर निवासी बैरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा वर्तमान तहसील बहरावण्डा
1/9 श्रीमति छोटी पुत्री बद्री पत्नि मोहनलाल जाति बैरवा निवासी जामा तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसीलकुण्डल

2. गेंदा पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी ग्राम गुगोलाव तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील लवाण

3. मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र रामकुवांर जाति गुर्जर निवासी नांगल गोविन्द तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील लवाण (फोत)

3/1 श्रीमति गुल्ली पत्नि मूल्या उर्फ मूलचन्द
3/2 धारासिंह पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द
3/3 इन्द्राज पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द
समस्त जाति गुर्जर निवासी नांगल गोविन्द तहसील दौसा वर्तमान तहसील लवाण जिला दौसा
4/4 श्रीमति उर्मिला पुत्री मूल्या उर्फ मूलचन्द पत्नि रामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवली तहसील जमवारामगढ जिला दौसा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील लवाण जिला दौसा
2. मूली पत्नि जगदीश जाति नाई निवासी सोनड तहसीललालसोट जिला दौसा वर्तमान तहसील रामगढ़पचवारा – फौत
2/1 जगदीश पुत्र नामालूम पत्नि मूली जाति नाई निवासी सोनड तहसील लालसोट जिला दौसा वर्तमान तहसील रामगढ़ पचवारा (फौत)
2/2 कैलाश पुत्र मूली देवी व जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम सोनड तहसील लालसोट जिला दौसा वर्तमान तहसील रामगढ़ पचवारा

...अप्रार्थीगण

जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 वास्ते निरस्त करने आवंटन साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा स्थित ग्राम गुगोलाव जो नाथी बेवा रामनाथ नाई के नाम दिनांक 22–04–78 को अवैध रूप से कर दिया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः 1. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 30.10.2025

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 22.4.1978 को आवंटन आदेश पारित कर साबिक खसरा नंबर 27 रकबा 02 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम गूगोलाव जो नाथी बेवा रामनाथ जाति नाई को आवंटित किया गया है से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रगार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 2 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 में अंकित तथ्यों को दोराहते हुए कथन किया कि तारीख 11.1.08 को अप्रार्थी नं0– 2 ने बताया कि ग्राम गूगोलाव तहसील दौसा मे स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 27 एकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन नाथी बेवा रामनाथ बाई निवासी गूगोलाव के नाम कर दिया गया है इस अवैध आवंटन को निरस्त करने के लिए यह प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) आवंटन नियम अन्तर्गत श्रीमान की सेवामें पेश किया जा रहा है। आवंटी नाथी बेवा रामनाथ का देहान्त अनेक वर्षो पूर्व हो गया था उसके कोई पुत्र व पुत्री या अन्य कोई उत्तराधिकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 2 भी उसकी पुत्री या उत्तराधिकारी नही है। परन्तु उसने यह भी जाहिर किया कि वह नाथी की पुत्री व उत्तराधिकारी होने का दावा कर नामान्तरण अपने नाम करवावेगी और भूमि का बेचान करेगी इसलिए अनावश्यक भावी विवाद से बचने के लिए नाथी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या दो को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जा रहा है। आवंटन निरस्त करने का प्रथम मुख्य आधार यह है कि आवंटित भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम गूगोलाव पर प्रार्थीगण का कबजा सम्मत 2016 व 2019 से निरन्तर अब तक अर्थात सम्वत 2064 तक चला आता है इस प्रकार 48 वर्ष से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे मे चली आ रही है यह आवंटन तारीख 22–4–78 को जब किया गया था तो उस समय सम्मत 2034 था उस समय तथा उससे पूर्व भी प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर वास्तविक कब्जा था इसलिए भूमि अन ओकोपाईड भूमि ही नही थी और कानुनन प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि का आवंटन श्रीमती नाथी बेवा रामनाथ नाई को कानुनन किया ही नही जा सकता था इसलिए आवंटन सरासर नियम विरूद्ध अवैध और निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के कब्जे का विश्वसनीय अकाट्य प्रमाण यह है कि राजकीय खसरा परिवर्तनशील मे सम्मत 2016, 2019 से निरन्तर सम्मत 2042 तक उक्त खसरा नम्बर 27 पर प्रार्थीगण का कब्जा होना अंकित है आवंटन के सम्मत 2034 मे तथा उससे 15 वर्ष पूर्व अर्थात सम्मत 2019 से निरन्तर सम्मत 2034 तक प्रार्थीगण का कब्जा होने के कारण आवंटन नियम के नियम 20 अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष मे ही उक्त भूमि का आवंटन या रेगूलाईजेशन किये जाने का मन्डेट्री प्रावधान है परन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही किये बिना ही श्रीमती नाथी बेवा रामनाथ के पक्ष मे आवंटन आदेश कर देना सरासर अवैध है और निरस्तनीय है। इस आवंटन में सरासर फोड व मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ है न तो आवंटी ने प्रार्थीगण के दीर्घकालीन कब्जे को प्रकट किया बल्कि धोखाधडी करके उसे छिपाया है और अन्य किसी प्रकार इस तथ्य को आवंटन के समय उजागर नहीं होने दिया इस तरह फोड व मिसरिप्रजेन्टेशन कारण भी यह आवंटन निरस्तनीय है। दूसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आवंटन की समस्त कार्यवाही नियमों के विरुद्ध गोपनीय तरीके से की गई है न तो आवंटन के संबंध मे कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया न आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र ही मांगे गये और न आवंटन पंचायत हैडक्वार्टर पर मजमे आम मे ही किया गया। ऐसा कोई नोटिस भी प्रकाशित नही किया गया कि तारीख 22–4–78 के आवंटन की कोई कार्यवाही तहसील कार्यालय मे की जावेगी इसका परिणाम यह हुआ कि प्रार्थीगण को तो इस आवंटन के संबंध मे किसी प्रकार कोई सूचना नही मिली और प्रार्थीगण आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने या नाथी देवी के पक्ष में किये गये अवैध आवंटन के विरुद्ध कानूनी आपत्ति पेश करने से ही वंचित हो गये और उन्हे तो इस आवंटन का कुछ आभास अप्रार्थी नं0 2 द्वारा तारीख 11–1–2008 को की गई बातचीत से ही सर्वप्रथम पता चला। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह हे कि तारीख 22–4–78 या सम्मत 2034 मे तथाकथित आवंटन हो जाने के बाद भी न तो श्रीमती नाथी देवी को कोई कब्जा दिया गया न कोई पट्टा दिया गया यहाँ तक कि जमाबंदी मे भी उसका नाम सम्मत 2042 तक गैर खातेदार बतौर अंकित नही किया गया इस कारण भी प्रार्थीगण को इस आवंटन की अभी तक कोई जानकारी नही हुई। सम्मत 2042 तक वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज जमाबंदी मे सिवायचक रहने के कारण खसरा परिवर्तवशील मे प्रार्थीगण का कब्जा अंकित होता रहा। चौथा महत्वपूर्ण कारण यह भी स्पष्ट है कि सम्मत 2042 तक आवंटी नाथी देवी के पक्ष मे कोई इन्द्राज जमाबंदी मे न होना तथा खसरा परिवर्तनशील मे प्रार्थीगण का कब्जा दर्ज होने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्रीमती नाथी आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर तथाकथित आवंटन के पश्चात भी कभी कोई कब्जा नही हुआ जबकि आवंटन की मुख्य शर्त यह है कि आवंटी प्रथम वर्ष मे आधी व द्वितीय वर्ष मे सम्पूर्ण भूमि को काश्त कर लेगी वरना आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा इस कारण यह आवंटन स्पष्टतया निरस्तनीय है। सम्मत 2043 मे (सन 1987 मे) दौसा तहसील मे सैटलमेंट हुआ तब उक्त भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा के नम्बर बदल कर नये नम्बर खसरा नम्बर 63 रकबा 33 ऐयर व खसरा नम्बर 70 रकबा 20 ऐयर बना दिये गये तथा नई बनाई गई जमाबंदी मे सम्मत 2043 मे नाथी बेवा रामनाथ नाई गूगोलाव गैर खातेदार का अंकन सरासर गलत कर दिया गया और गैर खातेदारी मे गलत इन्द्राज कर देने के कारण ये नम्बर सिवायचक नही रहे। इसलिए खसरा परिवर्तनशील मे इनका इन्द्राज होना तथा उन पर प्रार्थीगण का कब्जा दर्ज होना बंद हो गया अर्थात सं० 2043 से इस भूमि का खसरा परिवर्तनशील नही बना इसलिए प्रार्थीगण के कब्जे की नकल पेश करना सम्भव नही हैं परन्तु सं0 2043 से भी अब तक वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आता है। क्यो कि श्रीमती नाथी का देहान्त तो आवंटन के कुछ समय बाद ही हो गया था इसलिए उसका कब्जा होने का तो सवाल ही पैदा नही होता इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। इस तथ्य के प्रमाण स्वरूप इस भूमि साबिक खसरा नम्बर 27 हाल खसरा नम्बर 63 व 70 के आस पास के कृषको के शपथ पत्र संलग्न कर रहे है जो प्रार्थीयान को सं0 2043 से निरन्तर अब तक सं0 2064 तक के कब्जे का विश्वसनीय प्रमाण है। पांचवा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रार्थीगण ने श्रीमती नाथी को भूमि आवंटित करने के प्रार्थना पत्र तथा उस पर की गई कार्यवाही व आदेश की नकल प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र दिए और काफी तलाश भी करवाया परन्तु नाथी देवी का प्रार्थना पत्र तथा आवंटन की कार्यवाही की कोई पत्रावली नही मिली और नकल का प्रार्थना पत्र पर उन्हे [illegible] गई कि नाथी देवी को आवंटन करने संबंधी पत्रावली ही रिकॉर्ड मे उपलब्ध [illegible] केवल नामान्तरण संख्या 119 दिनांक 4–12–78 की नकल प्राप्त हुई [illegible] आवंटन दिनांक 22–4–78 को किया गया इस ही के आधार पर [illegible] आदेश की नकल हेतु पुनः प्रार्थना पत्र दिए थे आवंटन पत्रावली की कोई नकल नहीं मि[illegible] दूसरे रजिस्टर मे आवंटन का उल्लेख है यह महत्वपूर्ण तथ्य भी यह स्पष्ट सिद्ध करता है कि श्रीमती नाथी के पक्ष में आवंटन की वास्तव में कोई कार्यवाही ही नियमानुसार नही हुई इसलिए तथाकथित आवंटन वास्तव में एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:03 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गलत इन्द्राज मात्र है जो निरस्तनीय है। नकल प्रार्थना पत्र पर लिखित सूचना दी है कि आवंटन पत्रावली नहीं है एक रजिस्टर में आवंटन का उल्लेख नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल की अनेक रूलिंग है कि आवंटन मे प्राथमिकता का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसका कब्जा पूर्व से चला आता है। इसलिए वह रेगूलाईजेशन का अधिकारी है इसलिए उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। यह भी रूलिंग है कि यदि काबिज व्यक्ति किसी कारण आवंटन का पात्र न माना जावे तो उसको पहले बेदखल कर भूमि खाली करवाकर ही अन्य को भूमि आवंटन करना चाहिए। चूँकि प्रार्थीगण भूमिहीन कृषक है तथा प्रार्थी नं० 1 व 2 अनुसूचित जाति के सदस्य है और हर दृष्टीकोण से प्रार्थीगण आवंटन के पात्र है व प्राथमिकता पाने के अधिकारी है इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। नामान्तरण मे भी उल्लेख है कि श्रीमती नाथी का अन्तोदय योजना मे चयन हुआ है परन्तु कानुनन इस आधार मात्र पर उसे भूमि का आवंटन मानकर नामान्तरण कर गैर खातेदारी कर देना सरासर गलत है। 12 साल से अधिक समय से प्रार्थीगण का कब्जा होने के कारण प्रार्थीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है व प्रार्थीगण को बेदखल करने की मियाद बारह साल समाप्त हो जाने के कारण धारा 63(4)रा.टि.एक्ट अनुसार भी श्रीमती नाथी के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। प्रार्थी नं0 2 का भी आज तक कभी वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही रहा वह श्रीमती नाथी की पुत्री या उत्तराधिकारी भी नही है। वह नाथी के स्थान पर अपने नाम गलत नामान्तरण करवाकर भूमि को बेचने पर आमादा हो रही है इसलिए यह भी आदेश दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है कि श्रीमती नाथी के स्थान पर श्रीमती मूली के भी वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है इसलिए वह न तो नामान्तरण करवाए और न ही बेचान करे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन दिनांक 22–4–78 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1993 आरआरडी पेज 485, 2007(2)आरआरटी 1048 एच.सी., 2021(2)आरआरटी 1140, 2021(1)आरआरटी 212, 1989 आरआरडी 23, 1982 आरआरडी 441 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 27 एकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन नाथी बेवा रामनाथ नाई निवासी गूगोलाव के नाम दिनांक 22.4.1978 को किया गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि आंवटित भूमि खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा ग्राम गूगोलाव पर प्रार्थीगण का कब्जा संवत 2016 व 2019 से निरंतर अब तक चला आ रहा है। अतः जब आवंटन दिनांक 22.4.1978 को किया गया था (उस समय संवत 2034 था) उस समय भी प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा था। इस संबंध में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2032 से 2035 प्रस्तुत की है जिसमें [illegible] 2 बीघा 8 बिस्वा सरकारी जमीन खाता मिल्कियत सरकार बंजड चालू सिवायचक [illegible]। प्रार्थीगण द्वारा खसरा परिवर्तनशील संवत 2039 प्रस्तुत की है जिसमें [illegible] कब्जा खसरा नंबर 27 पर दर्ज है, खसरा परिवर्तनशील संवत 2020 [illegible] खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा पर पांचू पुत्र नन्दा का कब्जा दर्ज है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2033 में बद्री पुत्र पांचू, संवत 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 में रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा पर पांच्या पुत्र नन्दा का कब्जा रहा है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2043 में बद्री वगै0 पुत्र पांच्या बैरवा का व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

संवत 2040 में बद्री पुत्र पांचू बैरवा का खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा पर कब्जा दर्ज है।

7. भू प्रबंध विभाग ग्राम गूगोलाव, तहसील दौसा जिला जयपुर संवत 2041 से 2060 का मिलान क्षेत्रफल अवलोकनीय है:–

हाल		साबिक	
खसरा नंबर	क्षेत्रफल	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
63	0.33	27 मिन	2 बीघा 8 बिस्वा
70	0.20	27 मिन	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. साथ ही नामान्तरण सं0 119 दिनांक 6.12.1978 अवलोकनीय है जिसमें नायब तहसीलदार दौसा द्वारा टिप्पणी की गई है जो इस प्रकार है "आज दिनांक 6.12.1978 को मु0 हिंगोटिया नामान्तरण पेश हुआ जो कि आम जनता की कमेटी द्वारा दिनांक 22.4.1978 को आ0 खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा नाथी बेवा रामनाथ नाई को आवंटित किया गया है। अतः नामान्तरण बहक गैर खातेदारी अलाटी के नाम स्वीकार है।" उपरोक्त दस्तावेज से यह सिद्ध होता है कि जिस समय उक्त खसरे का आवंटन किया गया तत्समय उक्त भूमि रिक्त नहीं थी जो कि राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 5 की अवहेलना करता है। उक्त भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है। अतः धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 के दायरे में आती है।

9. उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 16970 स्वीकार किया जाता है। नाथी बेवा रामनाथ नाई को आवंटित की गई भूमि दिनांक 22.4.1978 तत्समय खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नंबर 33 एवं 70 राजस्व ग्राम गूगोलाव तहसील लवाण का आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त भूमि पर किसी का कब्जा है तो तहसीलदार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जावे। तहसीलदार लवाण को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियम समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:03 IST
Reason: SelfAttested